संचालनालय
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
म.प्र., भोपाल

क्रमांक जै.खे./आरकेव्ही.वाय/2011–12/ भोपाल, दिनांक 17 मार्च, 2012

प्रति,

कलेक्टर,

जिला (समस्त)

उप संचालक,
किसान कल्याण तथा कृषि विकास
जिला.....(म.प्र.)

विषय :– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट "बलरामग्रामों में जैविक खेती के विस्तार" के क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शी निर्देश

–––0–––

राज्य शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 13 मई 2011 व्दारा खरीफ अभियान 2011–एक हजार बलराम ग्रामों की योजना विभिन्न फसलों की सर्वोत्तम कृषि विधियों को सघनता से बड़े पैमाने पर एक गॉव को माडल के रूप में विकसित किया जाकर आम किसानों तक पहूंचने के उद्देश्य से जारी की गई । इसी कडी में मध्यप्रदेश की जैविक कृषि नीति 24 मई 2011 को राज्य सरकार व्दारा जारी की गई, जिसमें जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिये चिहिन्त बलराम ग्रामों में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत **"बलरामग्रामों में जैविक खेती के विस्तार" प्रोजेक्ट स्वीकृत किया गया है ।**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत प्रोजेक्ट बलराम ग्रामों में जैविक खेती के विस्तार हेतु निर्धारित प्रावधान अनुसार मार्गदर्शी निर्देश निम्नुसार जारी किये जा रहे है तद्नुसार कार्यक्रम सुनिश्चित कराया जावे :–

## 1. प्रशिक्षण कार्यक्रमः

### 1.1 तीन दिवसीय स्टाफ/मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण :-

प्रदेश के जिला स्तर/अनुविभागीय /विकास खण्ड स्तर अधिकारियों को जैविक खेती पद्धति एवं जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया से अवगत कराने के उद्देश्य से 3 दिवसीय स्टाफ/मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षण का आयोजन किया जावेगा । प्रशिक्षण मे सहायक संचालक कृषि/ अनुविभागीय अधिकारी कृषि/ वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी/कृषि विकास अधिकारी प्रशिक्षण में भाग लेगें । प्रत्येक जिले से प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 30 होगी । प्रशिक्षण का आयोजन राज्य स्तरीय कृषि प्रशिक्षण संस्थान (सीएट) बरखेडी कला भोपाल/प्रदेश के सभी कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र/कृषि विज्ञान केन्द्रों मे तीन दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जावेगा । संबंधित विषयों के विशेषज्ञो को प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित कर नार्मस के अनुसार मानदेय देय होगा । तीन दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय होगा । प्रशिक्षणार्थियों को प्रक्षेत्रों का भ्रमण भी कराया जावेगा । प्रशिक्षणार्थियों का चयन जिले के उप संचालक कृषि द्वारा किया जावेगा तथा प्रशिक्षणार्थियो के नामांकन की सूचना संबंधित संस्थान को प्रशिक्षण के 15 दिवस पूर्व देना होगी । प्रशिक्षण की राशि अग्रिम के रूप में उप संचालक कृषि के द्वारा संबंधित संस्थओं को दी जावेगी जिसका समायोजन एक माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण में विशेष रुप से फार्म फील्ड स्कूल में चयनित घटकों से संबंधित विषयों जैसे– जैविक कृषि आदान/जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया/कीटनाशक पोषक तत्व प्रबंधन/आईपीएम कीट कल्चर से संबंधित विशेषज्ञों को एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था के अधिकारियों को प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित किया जावेगा ।

**प्रशिक्षण का व्यय परिशिष्ट – 1 के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा ।**

### 1.2 तीन दिवसीय सहयोगी विभागीय अधिकारियों एवं अशासकीय संगठनों का मास्टर ट्रेनर्स प्रशिक्षणः–

तीन दिवसीय सहयोगी विभागीय अधिकारियों एवं अशासकीय संगठनों के प्रतिनिधियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जावेगा । जिसमें जैविक खेती पद्धति एवं जैविक प्रमाणीकरण संस्था से संबंधित राज्य के अशासकीय संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सहयोगी विभाग जैसे – मछलीपालन/पशुपालन/उद्यानिकी/वन इत्यादि विभाग के विकासखण्ड स्तर/अनुविभागीय स्तर/जिला स्तर के अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जावेगा। प्रशिक्षण में सहयोगी विभागों के जैविक कृषि के उत्पादकों एवं प्रमाणीकरण के विषयों पर प्राथमिकता दी जावेगी। प्रशिक्षण में संबंधित विषयों के विशेषज्ञों को प्रशिक्षक के रूप में आमंत्रित कर नार्मस के अनुसार मानदेय देय होगा। यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण आवासीय होगा। प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित प्रक्षेत्रों का भ्रमण भी कराया जावेगा । प्रशिक्षण राज्य स्तरीय प्रशिक्षण संस्थान बरखेडी कला भोपाल/अन्य विभागों के प्रशिक्षण संस्थान/ कृषि विज्ञान केन्द्रों जहां भी प्रशिक्षण की सुविधा हो कराया जावेगा। प्रशिक्षणार्थियों का चयन जिले के उप संचालक कृषि द्वारा किया जावेगा तथा नामांकन की सूचना संबंधित संस्थान को प्रशिक्षण के 15 दिवस पूर्व देना होगी । प्रशिक्षण की राशि अग्रिम के रुप में उप संचालक कृषि के द्वारा संबंधित संस्थाओं को दी जावेगी जिसका समायोजन एक माह के अंदर कराना अनिवार्य होगा।

**प्रशिक्षण का व्यय परिशिष्ट – 2 के अनुसार सुनिश्चित किया जावेगा ।**